उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–52/2022–23

उदेश्वर राउत एवं अन्य

बनाम्

गणेश्वरी देवी एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक 20/2/25

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्तागण उदेश्वर राउत वो निरंजन राउत वो गणेश राउत, पे0–स्व0 तपेश्वर राउत, सा0–बहोरिया, पो0–अमला, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्तागण ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय का रा0वि0 वाद संख्या–05/2017–18 (गणेश्वरी देवी वगै0 बनाम् बिहारी राउत वगै0) के आदेश दिनांक–05.11.2022 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है।

अपीलकर्त्तागण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–बहोरिया नं0–293, जमाबंदी नं0–29 रकवा 04–04–17 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में अपीलकर्त्तागण के परदादा भोथरी राउत वो कटकी राउत के नाम से दर्ज है। उत्तरवादीगण बाहरी व्यक्ति हैं। उनका आगे कथन है कि मौजा–बहोरिया नं0–293, जमाबंदी नं0–29 का जमाबंदी रैयत भोथरी राउत वो कटकी राउत के पिता बिहारी राउत की दो पत्नीयाँ थी। उनके पहली पत्नी का नाम शनिचरी देवी और दुसरी पत्नी का नाम भोलिया देवी था। शनिचरी देवी को एक पुत्र बन्धु राउत, जो अपीलकर्त्तागण के पूर्वज है तथा दुसरी पत्नी भोलिया देवी से दो पुत्र क्रमश 1. भोथरी राउत एवं 2. कटकी राउत हुए। बिहारी राउत ने अपने जीवन काल में ही अपने जमीन जायदाद का बंटवारा दोनों पत्नी शनिचरी देवी वो भोलिया देवी के पुत्रगणों के बीच कर दिया था, ताकि आपस में विवाद नहीं हो। बिहारी राउत को दो जमाबंदी नं0–23 एवं 29 पर जमीन था, जिसके अन्तर्गत पहली पत्नी के पुत्र को जमाबंदी नं0–23 तथा दुसरी पत्नी के पुत्रों को जमाबंदी नं0–29 का बँटवारा कर दिये और सर्वे में भी अपने दोनों पत्नी के पुत्रों का नाम दर्ज करा दिया। कालान्तर में भोथरी राउत नावल्द फौत कर गये और कटकी राउत की एक पुत्री कपीला देवी हुई तथा वह भी नावल्द फौत कर गई। भोथरी राउत वो

कटकी राउत का श्राद्ध कर्म उनके सौतेले भाई अपीलकर्त्तागण के पूर्वज बन्धु राउत के द्वारा किया गया। भोथरी राउत वो कटकी राउत के फौत होने के पश्चात् बन्धु राउत ही सारा जमीन का जौत आबाद करते आ रहे हैं। उनका आगे कथन है कि उत्तरवादीगण कभी भी उक्त जमाबंदी की जमीन पर दखलकार नहीं हुए और न ही उनको ग्राम–बहोरिया में ग्रामिणों द्वारा देखा गया है। उत्तरवादीगण उक्त जमाबंदी की जमीन से कोई लेना–देना नहीं है और न ही वे जमाबंदी रैयत के वंशक्रम में आते हैं। उनका आगे कथन है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा ने अंचल अधिकारी, गोड्डा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की थी। अंचल अधिकारी द्वारा अधूरा जाँच प्रतिवेदन दिया गया। जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि प्रत्येक पत्नी से उत्पन्न संतान के आधार पर भूमि का स्वामित्व प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। उनका आगे कथन है कि वर्तमान में आयुक्त संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय में गणेश्वरी देवी बनाम् उदेश्वर राउत वगै0 रिविजन केश नं0–217/19–20 लंबित है, जिसमें दोनों पक्ष पक्षकार हैं एवं मामला एक ही जमीन से संबंधित है। ऐसी स्थिति में दो जगह वाद चलना न्यायसंगत नहीं है। उनका आगे कथन है कि उत्तरवादीगण को अपना हक एवं स्वामित्व को दावा करने के लिए सक्षम न्यायालय में वाद दायर करना चाहिए। इस प्रकार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय द्वारा पारित आदेश नियम संगत नहीं है। अतएव भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय के आदेश दिनांक–05.11.2022 को निरस्त करने की कृपा की जाय।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलकर्त्तागण ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के मिस केश नं0–05/17–18 आदेश दिनांक–05.11.2022 के विरूद्ध अपील दायर किया है, जिसमें निम्न न्यायालय के द्वारा उत्तरवादी के आवेदन को स्वीकार करते हुए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत अपीलकर्त्तागण को जमाबंदी नं0–29 मौजा–बहोरिया रकवा 04–04–17 धुर जमीन से उच्छेद कर दिया गया है। उत्तरवादी का मामला यह है कि उनके द्वारा आवेदन उपायुक्त, गोड्डा को दिया गया था, जिसमें अपीलकर्त्तागण को विषयांकित जमीन से उच्छेद करने का अनुरोध किया गया था। उक्त आवेदन को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के कार्यालय में भेजा गया। तत्पश्चात मिस आवेदन संख्या–05/17–18 वाद प्रारम्भ कर कार्रवाई की गई। उनका आगे कथन है कि जमाबंदी नं0–29 मौजा–बहोरिया

रकवा 04--04--17 धुर जमीन जमाबंदी रैयत भोथरी राउत वो कटकी राउत, पे0--बिहारी राउत के नाम से गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। उत्तरवादी खतियानी रैयत कटकी राउत की नतनी है। भोथरी राउत नावल्द फौत कर गये हैं। वे अपने पिछे कटकी राउत को उत्तराधिकारी के रूप में छोड़ गये, जो कि उक्त जमीन के उत्तराधिकारी हुए। कटकी राउत एक मात्र उत्तराधिकारी अपनी पुत्री कपिला देवी को छोड़ कर फौत कर गये। कपिला देवी अपने पिता--कटकी राउत की मृत्यु के बाद अपने चाचा भोथरी राउत की वारिशान हुई। इसलिए उन्हें उक्त जमाबंदी की जमीन की पूर्ण भूमि पर अधिकार प्राप्त हुआ। कपिला देवी अपने पीछे 1. गणेश्वरी देवी, 2. चानो देवी एवं 3. रूकमा देवी को छोड़ कर फौत कर गई। चानो देवी अपने पीछे दो पुत्र क्रमशः 1. श्याम कुंवर एवं 2. मिथुन कुंवर को छोड़ कर फौत कर गई। वर्तमान वाद में 1.गणेश्वरी देवी, 2. श्याम कुंवर, 3. मिथुन कुंवर एवं 4. रूकमा देवी उत्तरवादी हैं। उक्त जमीन उत्तरवादी को विरासत में प्राप्त है एवं संयुक्त रूप से कृषि कार्य किया जा रहा है। उत्तरवादी गणेश्वरी देवी तथा रूकमा देवी की माता का नाम एवं श्याम कुंवर तथा मिथुन कुंवर की दादी का नाम भी जमाबंदी नं0--29 की भूमि में चल रहे वर्तमान तस्दीक पर्चा में दर्ज किया जा चुका है। अपीलकर्त्तागण बाहरी व्यक्ति हैं एवं संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 का उल्लंघन कर उक्त भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं। जबकि उक्त जमीन का लगान उत्तरवादी द्वारा दिया जा रहा है। उनका आगे कथन है कि पूर्व में अपीलकर्त्तागण के पिता को सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी, दुमका के वाद संख्या--13/2006 द्वारा उक्त जमीन से उच्छेद कर दिया गया था एवं कपिला देवी को जमीन वापस कर दिया गया था। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय में अंचल अधिकारी, गोड्डा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई थी। अंचल अधिकारी, गोड्डा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उत्तरवादी गणेश्वरी देवी और उनकी बहनें जमाबंदी रैयत कटकी राउत और उनके भाई भोथरी राउत के वंशज है। उक्त प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि भोथरी राउत की मृत्यु नावल्द हुई है एवं कटकी राउत की मृत्यु के बाद उनके एक मात्र उत्तराधिकारी कपिला देवी हुई, जो अपने पीछे तीन पुत्रियाँ क्रमशः 1. गणेश्वरी देवी, 2. चानो देवी एवं 3. रूकमा देवी को छोड़ कर फौत कर गई। इस प्रकार तीनों पुत्रियाँ का विषयांकित जमीन पर अपना हक एवं दावा बनता है। आगे जाँच प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख है कि

अपीलकर्त्तागण का भोथरी राउत वो कटकी राउत से कोई संबंध नहीं है तथा उक्त जमीन पर उनका दावा भी नहीं बनता है। अंचल अधिकारी, गोड्डा के जाँच प्रतिवेदन एवं ग्रामिणों द्वारा ग्राम पंचायत समिति के समक्ष हुई बैठक से भी स्पष्ट है कि उत्तरवादीगण भोथरी राउत एवं कटकी राउत के वंशज हैं। इस प्रकार निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखने के लिए अनुरोध किया है।

विज्ञ सरकारी वकील का कथन है कि निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। अतः अपीलकर्त्तागण का अपील आवेदन खारिज करने योग्य है।

अतः उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं, विज्ञ सरकारी वकील को सुनने एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–बहोरिया, थाना नं0–293, जमाबंदी नं0–29, रकवा 04–04–17 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में जमाबंदी रैयत भोथरी राउत एवं कटकी राउत, पे0–बिहारी राउत के नाम से दर्ज है। साथ ही उभय पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है कि जमाबंदी रैयत भोथरी राउत नावल्द फौत कर गये हैं। निम्न न्यायालय के अभिलेख में संलग्न अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि उत्तरवादीगण जमाबंदी रैयत कटकी राउत की पुत्री कपिला देवी की वंशज है। यह भी स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्तागण का भोथरी राउत वो कटकी राउत से कोई संबंध नहीं है। ऐसी स्थिति में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के राजस्व विविध वाद सं0–05/17–18 (गणेश्वरी देवी वगै0 बनाम् बिहारी राउत वगै0) के दिनांक–05.11.2022 का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के राजस्व विविध वाद सं0–05/17–18 (गणेश्वरी देवी वगै0 बनाम् बिहारी राउत वगै0) में दिनांक–05.11.2022 के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्तागण का अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

Digitally signed by Anjali Yadav
Date: 2025.09.19 13:18:40 +05:30
Location: 192.168.1.83

उपायुक्त,
गोड्डा

उपायुक्त,
गोड्डा